# कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी, प्रयागराज।

पत्र सं0: एफपी/सी0एफ0ओ0/आई–5/2020–21

दिनांक 29 अक्टूबर, 2020

सेवा में,

प्रो0/प्रबन्धक–
सेण्ट विष्णा आर0आर0एन0 स्कूल
नीम सरांय, प्रयागराज।

**विषय:** सेण्ट विष्णा आर0आर0एन0 स्कूल, नीम सरांय, 78सी, ए0डी0ए0 कालोनी, विसना मार्ग, नीम सरांय, प्रयागरज में लगी अग्निशमन व्यवस्थाओं/उपकरणों का आडिट प्रमाणपत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया आपके पत्रांक– निल, दिनांक 28.10.2020 के क्रम में प्रश्नगत संस्थान/भवन में स्थापित जीवन रक्षा, प्रिवेन्शन एवं फायर प्रोटेशन सिस्टम की स्थापना/क्रियाशीलता का मेरे द्वारा अग्निशमन व्यवस्थाओं एवं अभिलेखों का परीक्षण स्थल का सुसंगत मानको के अनुसार निरीक्षण कराया गया जिसका विवरण निम्नवत् हैः–

1. **प्राथमिक अग्निशमन उपकरण (फायर एक्सटिंग्यूशर)–** भारतीय नामक ब्यूरो के आई0एस0–2190 के अनुसार कार्यशील दशा में पाये गये जो, आई0एस0आई0 मार्क में निम्नवत् हैं, ए0बी0सी0–6 किग्रा0 30 अदद पाया गया। $CO_2$ (कार्वनडाइ आक्साइड गैस) फायर इक्सटिंग्यूसर 4.5 किग्रा0 08 अदद, डी0सी0पी0 10 किग्रा0 02 अदद कार्यशील दशा में पाया गया।
2. भवन में लगे समस्त अग्निशमन उपकरण होजरील, हाईडेंट व फायर उपकरण कार्यशील दशा में पाये गये।
3. **फायर स्टेशन**– सिविल लाइन्स इलाहाबाद का मो0 नं0 9454418557, 9454418558/101 मुख्य–मुख्य, स्थानों पर अंकित किया जाय।
4. **एग्जिट साइनेज**–सम्पूर्ण भवन में एग्जिट साइनेज स्थापित किये गये हैं।
5. **निकास मार्ग**– भवन में निकास मार्ग मानक के अनुसार स्थापित है।
6. **पी0ए0 सिस्टम**– पी0ए0 सिस्टम की व्यवस्था संपूर्ण भवन में स्थापित है।

**अतः उपरोक्तानुसार उपलब्ध अग्नि में सुरक्षा व्यवस्थाओं के आधार पर सेण्ट विष्णा आर0आर0एन0 स्कूल, नीम सरांय, प्रयागराज का अग्निशमन फायर आडिट प्रमाण–पत्र निम्न शर्तों के अधीन निर्गत किया जाता है–**

1. प्रबन्धक को निर्देशित किया जाये कि भवन में अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं को सदैव कार्यशील दशा में बनाए जाने हेतु मेन्टीनेस्ट शैड्यूल बनाया जाये तथा उसी के अनुसार कार्यशील दशा में रखा जाये।
2. भवन में स्थापित अग्निशमन प्रणाली के संचालन हेतु नियमित प्रशिक्षित स्टॉफ नियुक्त किया जाये।
3. किसी प्रकार का अतिरिक्त निर्माण कार्य कराये जाने से पूर्व अग्निशमन विभाग में अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।
4. भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं में किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर इसकी सूचना अविलम्ब स्थानीय अग्निशमन केन्द्र को दी जाए तथा अविलम्ब पाये गये। त्रुटि का निवारण किया जाय।
5. प्रत्येक छः माह में एक बार भवन में कार्यरत सुरक्षा कर्मियों को मॉक ड्रिल/फायर ड्रिल करायी जायें तथा इमरजेन्सी इवेक्यूशन प्लान बनाया जाए इसकी जानकारी सुरक्षा कर्मियों को प्रदान करायी जाए।
6. वर्ष में एक बार अग्निशमन विभाग से भवन में जीवन रक्षा, फॉयर प्रिवेन्शन तथा फायर प्रोटेक्शन सिस्टम के कार्यशील होने का प्रमाण–पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।
7. भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं के अनुरक्षण के अभाव में अथवा लापरवाही के कारण सिस्टम अकार्यशील दशा में पाये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व प्रबन्धक का होगा तथा निर्गत प्रमाण–पत्र स्वतः ही निरस्त माना जायेगा। इस प्रतिबन्धों के साथ फायर आडिट प्रमाण–पत्र निर्गत किया जाता है।

29/10

(आर0एस0 मिश्र)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
प्रयागराज